

पत्र संख्या-वैट-(08-09)-विज्ञप्ति-

३५६ / वाणिज्य कर।  
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(वैट अनुभाग)  
लखनऊ // दिनांक // ३ जुलाई, 2008

57

समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अथवा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के अन्दर के व्यवहारी द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सह विकासकर्ता तथा वहां स्थापित इकाईयों को कमिशनर, वाणिज्य कर, द्वारा विहित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत " आपरेशन्स " हेतु बेचे गये माल के आवर्त पर दिनांक ०१ जनवरी, २००८ से कर उद्घात या भुगतान न करने के सबंध में शासन द्वारा विज्ञप्ति संख्या- क०नि०-२-२०२७/ग्यारह-९(१५)/०८-३०प्र०अधि०-५-२००८-आदेश-(२६)-२००८, दि० ३०-६-०८ जारी की गयी है।

उपरोक्त विज्ञप्ति में छूट प्रदान करने के लिए कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा विहित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। विज्ञप्ति के प्राविधिकों का क्रियान्वयन करने के लिए प्रमाणपत्र का प्रारूप "फार्म-डी" निर्धारित किया जाता है। यह फार्म-डी मुख्यालय के परिपत्र सं०-वैट-फार्म-डी-रख रखाव प्रक्रिया/२००७-०८ / ५११ / वाणिज्य कर, दि० १४-०१-०८ द्वारा निर्धारित किया गया था जिसे परिपत्र सं०-६८०, दि० १३-३-०८ द्वारा संशोधित किया गया है। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अथवा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के अन्दर के व्यवहारी द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सह विकासकर्ता, स्थापित इकाईयों को खरीद हेतु प्रारूप फार्म-डी का रख-रखाव व प्रयोग मुख्यालय के उपरोक्त परिपत्रों में निर्देशनानुसार किया जायेगा। फार्म डी में जहाँ " यू०पी०वैट अध्यादेश, २००७ शिड्चूल-IV के क्रमांक-६(a), ९(a), १०(a), ११(a) लिखा है " के स्थान पर विज्ञप्ति सं०- क०नि०-२-२०२७/ग्यारह-९(१५)/०८-३०प्र०अधि०-५-२००८-आदेश-(२६)-२००८, दि० ३०-६-०८ तथा " कर योग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त वस्तुओं के लिए प्रमाण पत्र " के स्थान पर विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाई तथा विकासकर्ता या सह विकास कर्ता को विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत आपरेशन्स हेतु खरीद के लिए प्रमाणपत्र (प्रति संलग्न) लिखा जायेगा।

उपरोक्त संशोधन के साथ प्रचलित फार्म डी का प्रयोग किया जायेगा तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म डी पर ई सीरीज के टिकट लगाकर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि इस पत्र की प्रतियों पर्याप्त मात्रा में करवा कर अपने अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों/व्यापारिक संघों/अधिवक्ता संघों को उपलब्ध कराने तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(दीपक कुमार)  
कमिशनर वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक - उक्त।

प्रतिलिपि -- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
२. श्री एस०सी०द्विवेदी/ श्री यू०सी०दीक्षित, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

फार्म - डी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[ क0गि0-2-2027/पारह-9(15)/08-30प्र03धि)-5-2008-आदेश-(26)-2008 दिनांक 30-6-2008 ]

विशेष आर्थिक परियोग में स्थापित हकार्ड तथा विकासकर्ता या सह विकासकर्ता को विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत

## आपरेशन्स हेतु खरीद के लिये प्रमाण पत्र

### (मूल प्रति - करनिर्धारण प्राधिकारी के लिए)

कम सख्त्या---

कर्मकार्यालय अधिकारी  
द्वारा प्रमाणित  
हस्ताख्यर, नाम ध.  
मुहर सांकेत

**बुक संख्या**-----

## क्रम संख्या-----

खरीद का विवरण

क्र०सं	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप / मात्रा	सेल / टैक्स इनवाइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

Total in words	
Total in figure	

घोषणा

मैं पुत्र / पत्री / पत्नी \_\_\_\_\_ प्राप्ति \_\_\_\_\_

एतद्वारा धोषणा करता है कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही हैं।

स्थान -

तिथि -

महार

स्तुति

## अधिकृत हस्ताधारकर्ता का नाम व पदनाम

- नोट - फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रक्रिया**

  - फार्म डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बार्झार्ड बुक में रखा जाएगा ।
  - प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक 00001 से प्रारंभ होकर क्रमागत रहेगा ।
  - यह प्रयोग पर तीन प्रतिशो (पूल, द्वितीय एवं प्रतिष्ठान) में रखा जाएगा ।
  - मूल / द्वितीय प्रति विकेतां को खरीद करते समय जारी किया जाएगा ।
  - प्रतिष्ठान केता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा ।
  - मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नवश विभिन्न करते समय विकेतां को सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।
  - द्वितीय प्रति विकेतां व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी ।
  - फार्म व्यापारी स्वयं ही ए.ए साईज में प्रिंट करवायाएँ और एक बुकलेट चवास फार्म की हांगी ।
  - फार्म डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से भूल प्राप्त प्रतिस्तानाकार करवाना अनिवार्य होगा ।
  - प्रयुक्त फार्म डी का विवरण निर्धारित प्रालूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतिशों में रखा जाएगा तथा एक प्रति करनीशर्धण अधिकारी को फार्म डी की अगले बुकलेटों पर प्रतिहस्तात्त्व कराने के पूर्व प्रस्तुत करेगा । तत्पश्चात फार्म डी करनीशर्ण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्तात्त्वित किये जायेंगे तथा पूर्ण हस्तात्त्व कराने वाम/एनाम की मोहर लगायेंगे । व्यापारी द्वारा रखे गये उत्त विवरण की व्यापारी की प्रति पर भी करनीशर्ण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए हस्तात्त्व करेंगे ।
  - एक फार्म डी में अधिकतम एक माह के संघवाहर का इन्डज किया जा सकता है जिसकी अधिकतम मौकिक सीमा रु 10 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ इकाय विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार / भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार / भारत सरकार के उपकाम / निगम / कंपनी के लिए उपरोक्त मौकिक सीमा लागू नहीं होगी ।
  - फार्म डी पर हस्तात्त्व केवल वही व्यक्ति करेगों जिनका उत्त्वेत उपचार्मूल्य संवर्धित कर नियमबद्धी, 2008 के नियम-32(6) से है अथवा टैक्स इवाइस के अधिप्रमाणित करने के लिए अधिकत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

फार्म - डी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[ क०नि०-२-२०२७/यारह-९(१५)/०८-उप्रअधि०-५-२००८-आदेश-(२६)-२००८ दिनांक ३०-६-२००८ ]

विशेष आर्थिक परिस्थिति में स्थापित इकाई तथा विकासकर्ता को विकास आयुक्त द्वारा आधिका  
आपरेशन-हेतु खरीद के लिये प्रमाण पत्र

(द्वितीय प्रति - विक्रेता व्यापारी के लिए)

क्रम संख्या---

ब्रह्म संख्या-

## खरीद का विवरण

क्र०सं०	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप / मात्रा	सेल / टैक्स इनवाइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

Total in words
Total in figure

घोषणा

पत्र / पत्री / पत्नी-

पात्रिका

एतद्वारा घोषणा करता है कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएँ मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही हैं।

स्थान -  
तिथि -  
महर

हस्ताधार

नोट - फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रक्रिया

- फार्म-डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जाएगा।
  - प्रत्येक विनीय वर्ष के लिए क्रमांक 00001 से प्रारंभ होकर क्रमागत रहेगा।
  - यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (भूल, द्वितीय एवं प्रतिपार्ण) में रखा जाएगा।
  - मूल / द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा।
  - प्रतिपार्पण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।
  - मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नवशा दखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
  - द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
  - फार्म व्यापारी स्वयं ही ए-4 सार्जन में प्रिंट करवाएगा और एक बुकलेट पचास फार्म की होगी।
  - फार्म डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताशर करवाना अनिवार्य होगा।
  - प्रयुक्त फार्म डी का विवरण निर्धारित प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जाएगा तथा एक प्रति करनिधरण अधिकारी को फार्म डी की आगे लिया जाएगा।
  - तपश्चात फार्म डी करनिधरण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताशरित किये जायेंगे तथा पूर्ण बुकलेटों पर प्रतिहस्ताशर कराने के पूर्व प्रस्तुत करेगा। तपश्चात फार्म डी करनिधरण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताशरित किये जायेंगे तथा पूर्ण बुकलेटों पर प्रतिहस्ताशर कराने के पूर्व प्रस्तुत करेगा।
  - एक फार्म डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इन्डाज किया जा सकता है जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा ₹० 10 लाख होगी परन्तु 25 अपनी मोहर लगाते हुए हस्ताशर करेंगे।
  - एक फार्म डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इन्डाज किया जा सकता है जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा ₹० 10 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार / भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार / भारत सरकार के उपक्रम / नियम / कंपनी के लिए उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी।
  - फार्म डी पर हस्ताशर केवल वही व्यक्ति करेंगे जिनका उल्लेख ३०प्र००मूल्य संवर्धित कर नियमावली, २००८ के नियम-३२(६) में है अथवा टैक्स इनवाइस को अधिप्राणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

फार्म - डी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[ કોનિંગ-2-2027/યારહ-૭(૧૫)/૦૮-૩૦પ્ર૦અધી-૫-૨૦૦૮-આદેશ-(૨૬)-૨૦૦૮ દિનાંક ૩૦-૬-૨૦૦૮ ]

विशेष अर्थीक परिस्त्रे में स्थापित बहुत तथा विकासकर्ता या सह विकासकर्ता को विकास आधुनिक द्वारा अधिकृत आपरेशन्स हेतु खरीद के लिये प्रमाण पत्र

करनिधीरण अधिकारी  
द्वारा प्रमाणीकरण  
हस्ताक्षर, नाम व  
मुहर सहित

(प्रतिपर्ण - क्रेता व्यापारी के लिए)  
क्रम संख्या-----

**बुक संख्या**-----

खरीद का विवरण

क्रमसंख्या	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप / मात्रा	सेल / टैक्स इनवाइट की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

Total in words	
Total in figure	

घोषणा

पै - पुत्र / पुत्री / पत्नी - प्रास्थिति

एतद्दर्शग्रामोदयानुसारं करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पछ्य भाग में दी गयी सुचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही हैं।

10

卷二

१०८

३४८

## बुर्रापार

### अधिकृत हस्ताख्यकर्ता का नाम व पदनाम

तोउ आर्प के उवाहात / प्रयोग की पक्षिया

**प्रयोग किये गये फार्म डी के विवरण का निष्पादित प्राप्त**

सेल / टेस्स इनवाइस के विलक्ष की गयी खोर की मूली

क्रमांक	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	फार्म डी की सख्ता	टिप्प	सेल / टेस्स इनवाइस सख्ता			सेल / टेस्स इनवाइस की तिथि			वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करणीय मूल्य	वस्तुओं का पांच कर की पांच	इनवाइस व कुल धनाशि	
				नाम	कोड	मात्रा / माप	नाम	कोड	मात्रा / माप	नाम	कोड	मात्रा / माप				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1																
2																
3																
4																
5																

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता  
हस्ताक्षर  
तिथि